मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र.8036 वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / NREGS-M.P. / 2010 भोपाल, दिनांक 30/07/10

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एव बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से बनने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों हेतु वित्त एवं लेखा व्यवस्था संबंधी निर्देश।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 3630 / **MGNREGS-M.P./NR-4/** दिनांक 14 / 04 / 2010 बारहमासी सड़क योजना परिपत्र क्र. 5

—0—

1. विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में पूर्व में आपको नरेगा मद एवं बीआरजीएफ मद से ग्रामीण संपर्क सड़क योजना हेतु राशियां जारी कर संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्य आयोजना मद) से राशियां सीधे ही विकास आयुक्त कार्यालय से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यात्रिकी सेवाओं को प्रदाय की गई हैं।

2. निमार्ण कार्यों हेतु राशियों को संदर्भित पत्र के तारतम्य में संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा सिविल डिपाजिट मद में निर्धारित वर्क आई डी में क्लस्टरवार जमा करनी है अर्थात् क्लस्टर को वर्कनेम मानते हुये कोषालय सर्वर पर राशि जमा करनी है। उदाहरण स्वरुप यदि जिले के किसी ब्लाक में तीन क्लस्टर हैं एवं इन तीनों ही क्लस्टर में नरेगा निर्माण मद एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद) से राशि प्राप्त होती है तो प्रत्येक क्लस्टरवार पृथक–पृथक वर्क नेम कोषालय में संधारित करवाया जायेगा।

उदाहरण :– 1. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 1 / नरेगा / बीजीएसवाय
2. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 2 / नरेगा / बीजीएसवाय
3. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 3 / नरेगा / बीजीएसवाय
4. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 1 / मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना / बीजीएसवाय
5. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 2 / मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना / बीजीएसवाय
6. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड / जनपद का कोड / क्लस्टर क्र. 3 / मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना / बीजीएसवाय

कार्यपालन यंत्रियों के पास पूर्व से ही नरेगा में प्रचलित जिले एवं जनपद का कोड एवं निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में क्लस्टर क्र. की जानकारी उपलब्ध है। अतः तदानुसार ही नरेगा, बीआरजीएफ एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद) में प्राप्त राशियों को कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कोषालय में सिविल डिपाजिट मद में जमा कराया जाना है।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

अतः स्पष्ट है क्लस्टर में विभिन्न सड़कों एवं पुल–पुलियाओं के कार्यों समाविष्ट रहेंगे। अर्थात् एक क्लस्टर में विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली राशि क्लस्टर में सम्मिलित सड़कों एवं पुल–पुलियाओ (जैसी भी स्थिति हो) के लिए होगी। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर तदानुसार नियमानुसार सड़क एवं पुल–पुलिया हेतु (जैसी भी स्थिति हो) संबंधित क्लस्टर से नियमानुसार कार्यवार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3. चूकि इस योजना में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रियांन्वयन ऐजेंसी है अतः उनसे उनके जिले के लिए निमार्ण कार्यों के लिए तीनों मदों में राशि प्राप्त करने की मांग क्लस्टरवार ही समेकित कर प्रस्तुत की जायेगी। नरेगा एवं बीआरजीएफ मद की मांग संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा आपको प्रस्तुत की जायेगी एवं इस मांग का पृष्ठांकन मुख्य अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा विध्याचल भवन भोपाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् एवं संचालक ग्रामीण रोजगार को किया जायेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद) से संबंधी मांग कार्यपालन यंत्री द्वारा विकास आयुक्त कार्यालय बजट शाखा से की जायेगी एवं इसका पृष्ठांकन मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार गारंटी परिषद् को होगा।

4. चूकि इस योजना के योजना अधिकारी मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा है अतः उनके द्वारा ही तीनों ही मदों की मांगों को परीक्षित करते हुये नरेगा के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को, बीआरजीएफ के संदर्भ में, संचालक ग्रामीण रोजगार को एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद) के संदर्भ में विकास आयुक्त बजट शाखा को प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नरेगा, बीआरजीएफ एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद (राज्य आयोजना मद) से क्लस्टरवार समेकित मांग के अनुसार ही परीक्षण उपरांत राशि जारी की जायेगी।

5. इसका तात्तपर्य यह है कि निमार्ण कार्यों के लिए राशि की मांग करने एवं राशि प्रदाय करने में क्लस्टर को यूनिट माना गया है एवं इसी आधार पर समेकित मांग एवं प्रदाय सुनिश्चित होगा। यद्यपि इस क्लस्टर में विभिन्न सड़कों एवं पुल–पुलियांओं के कार्य सम्मिलित रहेंगें। यह व्यवस्था कोषालय सिस्टम के लिए राशियों के प्रवाह के लिए बनाई गई है। कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पूर्व निर्देशानुसार कार्यवार ही जारी की जायेगी।

6. निर्माण कार्यो के अतिरिक्त प्रशासकीय व्यय हेतु संदर्भित शासन के पत्र की कंडिका 1.6 के अनुसार प्रत्येक मद अर्थात नरेगा, बीआरजीएफ एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु निम्नानुसार वर्क आईडी के विरूद्ध एक ही वर्कनेम रहेगा। उदाहरण के लिए निम्नानुसार उद्धरत है।

1. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड/नरेगा/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।
2. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड/बीआरजीएफ/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।
3. कोषालय की वर्क आईडी–जिले का कोड/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/बीजीएसवाई/प्रशासकीय व्यय मद।

स्पष्ट है कि इन मदों में जिले के लिए समेकित रूप से राशि की मांग की जानी होगी। इसकी प्रक्रिया भी बिन्दु 3 एवं 4 के अनुसार रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 8637/वित्त एवं लेखा/एनआर–4/NREGS-M.P/2010 भोपाल, दिनांक 30/07/10

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विकास आयुक्त कार्यालय (बजट शाखा) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निवेदन पर सिविल डिपाजिट में कोषालय वर्क आईडी के समक्ष वर्कनेम संधारित करवाने में संबंधित कोषालय अधिकारी कार्यपालन यंत्री को सहयोग प्रदान करें।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अधीक्षण यंत्री ग्रामणी यांत्रिकी सेवा समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल